महत्वपूर्ण एवं खास

कलेक्टर ने कमीशनिंग के पूर्व व्यवस्था का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने शाम को मंडी परिसर स्थित बड़े हाल में 06 नवम्बर से शुरू होने वाले ईवीएम मशीन में अभ्यर्थियों के नाम के क्रम निर्धारण (कमीशनिंग) कार्य के आवश्यक व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा व स्निग्धा तिवारी, उप निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, डिप्टी कलेक्टर टी आर महेश्वरी, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान आदि उपस्थित थे।

ड्यूटी के दायित्व का पालन न करने पर मिला कारण बताओ नोटिस

सूरजपुर (आरएनएस)। स्थैतिक निगरानी दल (एस.एस.टी) के गंगाराम साहू , सुरेन्द्र सिंह, साहिबा गनी, महिपाल राम कुजूर की ड्यूटी विधानसभा क्षेत्र भटगांव (05) में लगाई गई थी। यह ड्यूटी रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक के लिए अजबनगर (थाना जयनगर) सरगुजा बॉर्डर चेक पोस्ट में तय थी। एक न्यूज चैनल के वीडियो क्लिप अनुसार ड्यूटी पर तैनात लोग चेक पोस्ट (ड्यूटी स्थल) पर सोते हुए दर्शित पाये गये। जिसके कारण ड्यूटी में दिये गए दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से न करने पर सभी को जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

महिला के बैंक खाते से 70 हजार रुपए पार

रायपुर (आरएनएस)। महिला के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने तीन बार में 70 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थिया की शिकायत पर कबीरनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया कृति गुप्ता 36 वर्ष हर्षित लैण्ड मार्ग हीरापुर की रहने वाली है। बताया जाता है कि प्रार्थिया के पास 23 सितंबर 2023 को अज्ञात मोबाइल नंबर 81349-42329 से कॉल आया। उक्त व्यक्ति ने प्रार्थिया से कहा कि आपके बैंक खाता में मुझे 25 हजार रुपए डालना है आपके पापा ने कहा है। जिससे प्रार्थिया अपने फोनपे नंबर दे दिया। जिसके बाद प्रार्थिया के मोबाइल पर 25 हजार रुपए भेजे जाने का मैसेज आया, लेकिन एकाउंट में पैसा नहीं आया। जिससे आरोपी ने कहा कि प्रोसेसिंग में समय लगता है, वहीं भूलवश आपको 50 हजार भेज दिया हूं। आप मुझे मेरा 25 हजार रुपए वापस दे दो कहते हुए प्रार्थिया के खाते से 3 बार में 70 हजार रुपए आहरण कर लिया। प्रार्थिया की शिकायत पर कबीरनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

629 बकायेदारों को आरडीए ने जारी किया नोटिस

रायपुर (आरएनएस)। आरडीए (रायपुर विकास प्राधिकरण) ने शुरुआत में एक दो किस्त जमा करने के बाद किस्त नहीं जमा करने वाले बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये बकायेदार आरडीए के कौशल्या माता विहार और इंद्रप्रस्थ के है, जो मकान, जमीन लेकर उसका एक दो किस्त जमा कर चुके है। उसके बाद से इनके द्वारा किस्त जमा करना बंद कर दिया गया है। आरडीए ने ऐसे 629 ग्राहकों की सूची बनाकर उन्हें अंतिम नोटिस जारी किया है। बकायेदार अगर 15 नवंबर तक किस्त जमा नहीं करेंगे तो उनका आवंटन निरस्त हो जाएगा और आवंटन की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। इसके साथ ही आरडीए ने गुरुवार दो नवंबर से सरचार्ज राशि में छूट देना भी बंद कर दिया है। अब बकायेदार इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2000 फ्लैट बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें 812 वर्गफुट के 3 बीएचके एलआइजी फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपये है। आरडीए द्वारा सरचार्ज में 30 से 50 फीसद की छूट दी जा रही थी। इसमें व्यावसायिक में 30 और आवासीय में 50 फीसद छूट थी। दो नवंबर गुरुवार तक इसमें छूट थी और तीन नवंबर से इसका लाभ बकायेदारों को नहीं मिलेगा।

जिले में 100 वर्ष से अधिक आयु के 141 मतदाता करेंगे मतदान

कोरबा (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार के निर्देशन में कोरबा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारी अंतिम चरण में है। इस चुनाव में कोरबा जिले में कुल नौ लाख 20 हजार 85 मतदाता अपना वोट डालेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में कोरबा जिले के 141 ऐसे मतदाता भी अपना बहुमूल्य मतदान करेंगे जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है। ऐसे मतदाताओं को मतदान करने में सहयोग के लिए पृथक से मतदान दलों का गठन भी किया गया है। ये मतदान दल वरिष्ठ मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदान में सहयोग करेंगे।

कोरबा जिला अन्तर्गत पाली-तानाखार, कटघोरा, कोरबा और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 17 नवंबर को मतदान होना है। इस मतदान में जिले के विधानसभा वार मतदाताओं की संख्या जारी कर दी गई है। जिसमें रामपुर विधानसभा अन्तर्गत पुरूष मतदाता एक लाख आठ हजार 908, महिला मतदाता एक लाख 12 हजार 216 कुल दो लाख 21 हजार 124, कोरबा विधानसभा अन्तर्गत पुरूष मतदाता एक लाख 29 हजार 042, महिला मतदाता एक लाख 26 हजार 777, थर्ड जेंडर 21, कुल मतदाता दो लाख 55 हजार 840, कटघोरा विधानसभा अन्तर्गत पुरूष मतदाता एक लाख आठ हजार 462, महिला मतदाता एक लाख छ: हजार 299, थर्ड जेंडर नौ, कुल मतदाता दो लाख 14 हजार 770, पाली-तानाखार विधानसभा अन्तर्गत पुरूष मतदाता एक लाख 13 हजार 428, महिला मतदाता एक लाख 14 हजार नौ सौ पंद्रह, थर्ड जेंडर -8, कुल मतदाता दो लाख 28 हजार 351 है।

महिला मतदाताओं की संख्या है अधिक

कोरबा जिले में कुल नौ लाख 20 हजार 85 मतदाता हैं जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरूष के मुकाबले अधिक है। जिले में महिला मतदाताओं की संख्या चार लाख 60 हजार 207 और पुरूष मतदाताओं की संख्या चार लाख 59 हजार 840 है। जिले में थर्ड जेंडरों की संख्या 38 है। विधानसभावार देखें तो रामपुर विधानसभा में एक लाख 12 हजार 216, पाली तानाखार में एक लाख 14 हजार 915 महिला मतदाता हैं। कटघोरा और कोरबा विधानसभा में पुरूष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं की संख्या से अधिक है।

विधानसभा निर्वाचन 2018 में कोरबा जिले में 78.61 प्रतिशत हुआ था मतदान

विधानसभा निर्वाचन 2018 में कोरबा जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों क्रमश: रामपुर, कोरबा, कटघोरा और पाली तानाखार में मतदान का प्रतिशत 78.61 था। विधानसभा क्षेत्र रामपुर में 83.37, कोरबा 71.56, कटघोरा 77.65 और पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में 81.89 प्रतिशत मतदान हुआ था। रामपुर विधानसभा में 83.66 पुरुष एवं 83.38 महिला मतदाताओं ने, कोरबा विधानसभा में 71.19 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने जबकि 71.98 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने, कटघोरा विधानसभा अंतर्गत 76.78 पुरुष एवं 78.56 महिला मतदाताओं ने इसी तरह पाली तानाखार विधानसभा में 82.23 पुरुष एवं 81.54 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

पिछले विधानसभा निर्वाचन की तुलना में 82 हजार 514 मतदाता बढ़े

विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु कोरबा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों हेतु कुल आठ लाख 37 हजार 571 मतदाता चिन्हित थे। विधानसभा रामपुर में दो लाख एक हजार 546 मतदाता, कोरबा में दो लाख 26 हजार 304 मतदाता, कटघोरा में एक लाख 97 हजार 526, और पाली तानाखार में दो लाख 12 हजार 195 मतदाता थे। जिसमें 30 ट्रांसजेंडर मतदाता थे। विधानसभा निर्वाचन 2023 में कोरबा जिले से कुल नौ लाख 20 हजार 85 मतदाता चिन्हित हैं। गत विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में इस चुनाव में 82 हजार 514 मतदाता बढ़े हैं।

सामान्य प्रेक्षकों और राजनैतिक दल के समक्ष किया गया द्वितीय रेन्डमाइजेशन

❒ **ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीनों और मतदान दलों का किया गया रेन्डमाइजेशन**

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । सारंगढ़ विधानसभा-17 के सामान्य प्रेक्षक तापस राय, बिलाईगढ़ विधानसभा-43 के सामान्य प्रेक्षक पवन कुमार और राजनैतिक दल के अभ्यर्थी-प्रतिनिधियों के समक्ष विधानसभा सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के मतदान केन्द्रों में उपयोग होने वाले ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीनों के द्वितीय रेन्डमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट और एप्प के माध्यम से किया गया। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सुबह 11 बजे के कार्यक्रम की शुरूआत में राजनीतिक दलों को रेन्डमाइजेशन के संबंध में जानकारी दी।इस अवसर पर राय और पवन कुमार ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को रेन्डमाइजेशन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा, डॉ. स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. महेश्वरी, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान सहित सहायक रिटर्निंग अधिकारी नेत्रप्रभा सिदार, रूपाली मेश्राम, कमलेश सिदार आदि उपस्थित थे।

मतदान केन्द्र के लिए रेन्डमाइजेशन से तय होता है ईव्हीएम, व्हीव्हीपैट और मतदान दल- इस रेन्डमाइजेशन से ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीनों को मतदान केन्द्र आबंटित किया जाता है। इसके साथ ही साथ मतदान दलों का भी रेन्डमाइजेशन किया गया। रेन्डमाइजेशन का सरल आशय यह है कि सभी समूह का लॉटरी प्रणाली है जिससे किसी मशीन, किसी दल को नहीं पता होता कि उसे किस मतदान केन्द्र में आवंटित किया जाएगा। रेन्डमाइजेशन राजनीतिक दल के समक्ष संतुष्टि होने पर फाइनल किया गया। फाइनल रेन्डमाइजेशन में जिस ईव्हीएम व व्हीव्हीपैट मशीन और मतदान दल को जो मतदान केन्द्र आबंटित होगा, वो सभी उस मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचन कार्य हेतु भेजे जाएंगे व निर्वाचन संपन्न कराएंगे।

राजनीतिक दलों के समक्ष खोला और बंद किया गया स्ट्रांग रूम

❒ **रेंडमाईजेशन अनुसार वोटिंग मशीनों का किया गया व्यवस्थित**

सारंगढ़ बिलाईगढ़। मंडी परिसर सारंगढ़ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष और रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा व डॉ स्निग्धा तिवारी की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया। स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम वीवीपैट का कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा के ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का सुबह 11 बजे किए गए फाइनल रेंडमाईजेशन अनुसार व्यवस्थित किया गया। स्ट्रांग रूम के ताला खोलने और ताला बंद करने का वीडियोग्राफी किया गया है। इस अवसर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे।

पश्चिमी विक्षोभ से छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश

रायपुर (आरएनएस)। पश्चिमी विक्षोभ के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे के आसपास आसमान में छाए बादल घने हो गए और करीब आधे घंटे तक हल्की वर्षा दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है।

बेमौसम बारिश से लोग एक बार फिर से वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड की दस्तक हो चुकी है, इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज गड़बड़ा गया। वातावरण में व्याप्त नमी और विक्षोभ के असर से यह नमी बारिश बनकर बरस गई। इसके पूर्व गुरूवार देर रात से ही मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया था। शुक्रवार सुबह ठंड पूरी तरह से गायब हो गई थी और दोपहर में भी हल्की उमस महसूस हो रही थी। शुक्रवार दोपहर के बाद रात में हल्की बारिश रिकार्ड की गई। दूसरी ओर खेती-किसानी से जुड़े लोगों ने बेमौसम की बारिश पर चिंता जताते हुए कहा कि यह फसलों के लिए काफी नुकसानदायक है। ज्ञात हो कि प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इस समय धान कटाई जोरशोर से चल रही है। ऐसे में बेमौसम की बारिश ने कृषक वर्ग को भी परेशान कर दिया है। दूसरी ओर वायरल फीवर ने एक बार फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। इधर मौसम विभाग ने आगामी एक-दो दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बने रहने के आसार जताए हैं।

शासकीय कार्यालयों, अस्पतालों से 200 मीटर की दूरी पर करें ध्वनि से प्रचार : कलेक्टर

❒ **चुनाव प्रचार में सामान्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मध्यम आवाज में हो**

❒ **ऊंची आवाज पूर्णतः प्रतिबंधित**

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने आचरण संहिता लागू होने के बाद कोलाहल के विरुद्ध आदेश जारी कर चुकी हैं। सभी राजनैतिक दल अपने प्रचार वाहन के ड्राइवर और आपरेटर आदि को निर्देशित करें कि वो आदेश में उल्लेखित नियमों का पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर करेंगे, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधि है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील है। विषम समय में, विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अविवेकपूर्ण ऊंचे स्वरों पर, अवैधानिक उपयोग छत्तीसगढ़ कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1985, की धारा 04 अंतर्गत ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को दृष्टिगत रखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।

लाउडस्पीकरों का ऊंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकरों पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय- संस्थान में हो या घर में हो, बहुत परेशानी होती है।

घरेलू विवाद के चलते पोते ने दादी को उतारा मौत के घाट

❒ **पिता पर किया प्राणघात हमला**

गरियाबंद (आरएनएस)। थाना फिंगेश्वर पुलिस को फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 3 नवम्बर को रात्रि करीबन 10.30 बजे आरोपी ईगल पटेल अपने पिताजी धनाराम पटेल व दादी बसंता बाई पटेल को अपने मां से दोनो दुव्र्यवहार करते हो कहकर गुस्से में आकर दोनों को जान से मारने की नियत से डण्डा व हसिया से हमला किया,जिससे आरोपी की दादी मौके पर मृत्यु हो गई। घटाना की विस्तृत जानकारी थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद पुलिस कप्तान अमित तुकाराम कांबले के निर्देशन अति0 पुलिस अधीक्षक डी सी पटेल व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में आरोपी को जल्द से जल्द पडक़र हिरासत में लेने हेतु निर्देशित किया गया ।

थाना फिंगेश्वर पुलिस मौके पर ग्राम चरोदा पहुंची जहां मृतिका बसंता बाई के सिर में ईगल पटेल के द्वारा प्राणघातक हमला करने से मृत अवस्था में जमीन मे पड़ी हुई थी। घटनास्थल पर गंभीर रूप से घायल पड़े धनाराम पटेल को ईलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मृतिका बसंता बाई पटेल के सिर में प्राणघातक हमला करने से मृत अवस्था में पड़ी है,इस रिपोर्ट पर मर्ग इंटिमेशन कर शव का पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टि या हत्या का पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले के फरार आरोपी इंगल पटेल पिता धनाराम पटेल उम्र 32 वर्ष साकिन चरौदा थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद को थाना फिंगेश्वर पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करने पर दिनांक विधिवत् गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार विजयवार,सउनि प्रहलाद ठाकुर,प्रधान आरक्षक भगवान ठाकुर,आरक्षक गोविन्दा दीवान,रोशन साहु,सुरेन्द्र सिंह नेताम,भरत लाल सेन, किशोर साहू का सराहनीय योगदान रहा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

विधानसभा चुनाव में लगेंगी 9 हजार बसें, परेशान होंगे यात्री और स्टूडेंट्स

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बसों का अधिग्रहण शुरू हो गया है. इस कारण रायपुर से विभिन्न स्थानों के लिए आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशान होना पड़ सकता है।

वहीं, स्कूल बसों को भी बड़ी संख्या में चुनाव में लगाए जाने से छात्रों को भी कम से कम सप्ताह परेशानी होगी. इस बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए करीब 15000 वाहनों को तैनात किया जाएगा.

इसमें करीब 7000 यात्री बस, 2000 स्कूल बस, 3000 ट्रक और 3000 कार के साथ ही शासकीय वाहन शामिल है. चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में आरटीओ द्वारा वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है. बताया जाता है कि प्रथम चरण में 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अब तक करीब 3000 वाहनों का अधिग्रहण कर स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन को सौंपा गया है. ताकि जरूरत के अनुसार इनका उपयोग किया जा सकें. वहीं दूसरे चरण में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए वाहन उपलब्ध कराने बस मालिक और ट्रांसपोर्टरों को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया गया है. उन्हे 14 नवंबर को वाहन लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इसकी अवहेलना करने और वाहन नहीं देने पर परमिट निरस्त कर ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी दी गई है। ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी दी गई है.

त्योहार में आवाजाही में बढ़ेगी मुसीबत- यात्री बसों का अधिग्रहण बढ़ी संख्या में करने पर दीपावली त्योहार के दौरान यात्रियों की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष अनवर अली का कहना है कि पर्याप्त संख्या में यात्री बस है. अधिग्रहण करने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ेगा. बता दें कि चुनाव के लिए लंबी दूरी की स्लीपर और ऐसी बसों का उपयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं किया जाएगा.

निगरानी दलों के लिए 70 शासकीय वाहन- चुनाव के लिए रायपुर जिले में निगरानी दलों के लिए विभिन्न शासकीय विभागों से 70 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है. इसमें वीएसटी (वीडियोग्राफी करने) वाले वाहन भी शामिल हैं. रायपुर जिले से 417 यात्री बसों, 180 कार और 100 अन्य वाहनों को मतदान दलों और सुरक्षा बलों के मूवमेंट के लिए अधिग्रहित किया जाएगा. इसके लिए वाहन मालिकों को चालक व फिटनेस सर्टिफिकेट एवं दस्तावेज के सहित उपस्थिति दर्ज कराने कहा गया है.